संख्या– 617 /30–4–2011–8(6)/2010

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन।

परिवहन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 04 जुलाई, 2011

विषयः मालवाहनों में अधिकृत क्षमता से अधिक भार ढोये जाने तथा मोटरवाहन अधिनियम/नियमावली के प्राविधनों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अनूप कुमार गुप्ता, निवासी, जनपद–बहराइच द्वारा मा0 लोकायुक्त के समक्ष दायर परिवाद संख्या–1489/2009, को निस्तारित करते हुए मा0 लोकायुक्त द्वारा संस्तुति संख्या–02–2010 दिनांक 12–03–2010 में राजस्व की हानि में रोकने हेतु मालवाहनों की ओवरलोडिंग को पूर्णतः समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निदेश राज्य सरकार को दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–113 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित भार क्षमता से अधिक माल ले जाना अपराध माना गया है। धारा–194 के अन्तर्गत माल वाहनों में नियत क्षमता से अधिक माल ढोने पर दण्ड का प्राविधान किया गया है जिसके लिए मालवाहन के स्वामी एवं चालक को दण्डित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–114 में यह भी व्यवस्था है कि मोटरयान विभाग (परिवहन विभाग) के अधिकारियों द्वारा, स्वीकृत क्षमता से अधिक माल ढोने पर, उसे उतारने का निर्देश दिया जा सकता है तथा इस निर्देश का अनुपालन उन ट्रकों के चालकों पर बाध्यकारी होगा। उतारे गये माल की सुरक्षा अथवा क्षति के लिए परिवहन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। क्षमता से अधिक माल उतरवाने के साथ ओवरलोड अपराध का रु0–2000/– तथा प्रत्येक टन अथवा उसके भाग के लिए रु0–1000/– प्रशमन शुल्क वसूल किया जायेगा। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि ओवरलोड वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेन्स को निलम्बित/निरस्त किया जायेगा तथा उन्हें ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अयोग्य घोषित करने की भी कार्यवाही की जा सकती है। सम्बन्धित ट्रक के परमिट को निलम्बित/निरस्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है। जो भी अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में

ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं अथवा इसे रोकने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं, उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–11–2005 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17–10–2006 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 16–07–2004 एवं 16–07–2007 के द्वारा भी ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के अनुक्रम में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा–199 के अन्तर्गत यदि किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है तो उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी और व दण्ड का दायी माना जायेगा। धारा–199 के प्राविधान निम्न प्रकार हैं :–

" 199 कम्पनियों द्वारा अपराध– (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन एक अपराध किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित होने के समय प्रभार में था और कम्पनी के व्यापार और आचरण के लिए जिम्मेदार था, और ठीक उसी रूप में कम्पनी को उल्लंघन का दोषी माना जायेगा और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने और तद्नुरूप दण्ड का भागी माना जायेगा।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उस अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिये उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

उपधारा (1) में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन एक अपराध एक कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अपराध किसी डाइरेक्टर, प्रबन्धक, सचिव या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या अभिप्रेरणा से कारित किया गया था या उसके पक्ष में किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया हुआ माना जा सकता है, तो ऐसा डाइरेक्टर, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए भी दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही करने या तद्नुरूप दण्ड का भागी माना जायेगा "।

3– शासकीय विभागों को समय–समय पर अथवा अपने नियमित कार्यों के लिए माल (जैसे कि खाद्यान्न सामग्री, निर्माण सामग्री, यथा–ईंट, बालू, मौरंग, सीमेन्ट, गिट्टी, सरिया आदि, एवं उर्वरक इत्यादि) ढोने हेतु माल वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। उक्त सामग्रियों की ढुलाई हेतु विभागों द्वारा सीधे अथवा ठेकेदारों के माध्यम से माल वाहनों का प्रयोग किया जाता है। आप सहमत होंगे कि ट्रकों में ओवरलोडिंग के कारण मार्ग दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ती है तथा राजकीय मार्गों की क्षति भी होती है एवं उनके रखरखाव में शासकीय व्यय भी बढ़ जाता है एवं अधिक वायु प्रदूषण उत्सर्जित होता है।

4— शासकीय विभाग होने के नाते यह हम सभी का दायित्व है कि शासकीय कार्यों में किसी भी अधिनियम/नियम का उल्लंघन न होने दें तथा कोई भी दण्डनीय अपराध न किया जाय। साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षति को रोकना भी हमारा दायित्व है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार के शासकीय कार्य में लगे हुए माल वाहनों द्वारा किसी भी दशा में ओवरलोडिंग कर गैर कानूनी कार्य न किया जाय। विभाग/शासकीय संस्था द्वारा जब भी इस प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जाय तो अनुबन्ध आदि के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मालवाहन के स्वामी/चालक द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक माल वाहन में नहीं लादा जायेगा, क्योंकि चेकिंग के समय यदि उपरोक्तानुसार माल बीच रास्ते में उतारा जाता है तो इससे शासकीय क्षति की भी सम्भावना रहेगी, जिसके लिए संबंधित विभाग ही उत्तरदायी होगा।

अतः अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त अधिनियम में की गयी व्यवस्था के पालन में सहयोग करें एवं यथावश्यक निर्देश अपने विभाग के समस्त अधिकारियों एवं अधीनस्थ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी जारी करें। कृपया ऐसे निर्देशों की एक प्रति परिवहन विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या—617(1)/30—4—10—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे परिवहन विभाग के वेबसाइट "www.Transport up.nic.in" में अपलोड करायें।
8. सचिव, लोकायुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिवानन्द ओझा)
विशेष सचिव।